



2026:AHC:30974-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 19028/2025

राम वृक्ष यादव
..... याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ एवं 4 अन्य
..... प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अमरदेव सिंह

प्रतिवादियों के अधिवक्ता : ए.एस.जी.आई., अशोक सिंह

न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र

- याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अमरदेव सिंह और प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक सिंह को सुना गया।
- यह रिट याचिका केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, इलाहाबाद पीठ, इलाहाबाद ('अधिकरण') द्वारा मूल आवेदन (ओ.ए.) संख्या 106/2020 (राम वृक्ष यादव बनाम भारत संघ एवं अन्य) में पारित विवादित आदेश दिनांक 13.11.2025 के 7वें पैराग्राफ में दर्ज टिप्पणियों, निष्कर्षों और निर्णय को चुनौती देते हुए दायर की गई है। अधिकरण ने उक्त मूल आवेदन में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई दूसरी राहत, जिसमें 6,12,751/- रुपये की उपदान राशि को 18% वार्षिक ब्याज के साथ वापस करने का दावा किया गया था, देने से इनकार कर दिया है। रिट याचिका में दूसरी प्रार्थना प्रतिवादियों को उक्त राशि ब्याज सहित वापस करने का निर्देश देने के लिए है।
- याचिकाकर्ता, जो प्रतिवादी विभाग में स्टोर ईश्वर के रूप में कार्यरत थे, अधिवर्षता आयु प्राप्त करने के उपरान्त 31.12.2019 को सेवानिवृत्त हुए। उनकी शिकायत ग्रेड-पे के गलत निर्धारण, उनकी पेंशन के निर्धारण और सेवानिवृत्ति लाभों की कम गणना के संबंध में थी। अधिकरण के समक्ष उनका मामला यह था कि हालांकि उपदान राशि की गणना प्रारंभ में 6,56,897/- रुपये की गई थी, लेकिन उन्हें केवल 44,146/- रुपये की राशि का भुगतान किया गया और शेष 6,12,751/- रुपये की राशि बिना किसी सूचना या अवसर प्रदान किए काट ली गई।
- मूल आवेदन दाखिल किया गया था जिसमें पहली प्रार्थना प्रतिवादियों को नया संशोधित पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.) जारी करने और याचिकाकर्ता की पेंशन को उनकी सेवानिवृत्ति से 10 महीने पहले के अंतिम वेतन के आधार पर निर्धारित करने के लिए की गई थी, जो 5200-20200 + ग्रेड-पे 2000/- (लेवल-3) के रूप में आहरित किया गया था। तदनुसार, पेंशन के बकाया के अंतर का भुगतान

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



करने, सेवानिवृत्ति लाभों का निपटान करने और सेवानिवृत्ति लाभों के बकाया का अंतर 18% वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने उपदान की वसूली गई 6,12,751/- रुपये की राशि को 18% ब्याज के साथ वापस करने का भी दावा किया था।

5. अधिकरण ने याचिकाकर्ता को पेंशन के निर्धारण के लिए विचार किए जाने का पात्र पाया और मामले को प्रतिवादी संख्या 3 को वापस भेज दिया ताकि रेलवे सेवा (पेंशन) नियमावली, 1993 के नियम 50 के अनुसार पी.पी.ओ. के निर्धारण हेतु उनकी शिकायत की जांच की जाए और उचित आदेश पारित किया जाए। अधिकरण ने आगे यह टिप्पणी की कि यदि आवेदक उच्च ग्रेड-पे का हकदार है, तो उसकी पेंशन उसे भुगतान किए गए पिछले 10 महीनों के औसत परिलब्धियों के आधार पर बढ़े हुए वेतनमान में निर्धारित की जाएगी और यदि वह किसी बकाया का हकदार पाया जाता है, तो उसका भुगतान 6% वार्षिक ब्याज की दर से किया जाएगा।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि हालांकि अधिकरण द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई पहली राहत प्रदान कर दी गई है, लेकिन विवादित आदेश के 7वें पैराग्राफ के माध्यम से दूसरी राहत देने से इनकार करना न्यायोचित नहीं है, क्योंकि अधिकरण ने मूल आवेदन के संलग्नक-ए को पढ़ने में त्रुटि की है। इसके परिणामस्वरूप अधिकरण गलत निष्कर्ष पर पहुँचा कि 3,52,764/- रुपये की राशि आदेश दिनांक 19.03.2018 के माध्यम से याचिकाकर्ता को पहले ही वापस की जा चुकी है।

7. तर्क यह है कि संलग्नक ए-6 मूल आवेदन संख्या 1064/2016 से संबंधित दस्तावेज था, जो याचिकाकर्ता द्वारा नहीं बल्कि एक अन्य व्यक्ति 'शिव राम' द्वारा दाखिल किया गया था। वह दस्तावेज अधिकरण द्वारा शिव राम के मामले में पारित आदेश दिनांक 20.09.2016 के अनुपालन में अस्तित्व में आया था। उसे केवल संदर्भ के उद्देश्य से संलग्न किया गया था क्योंकि उस मामले में अधिकरण ने माननीय उच्चतम न्यायालय के 'स्टेट ऑफ पंजाब बनाम रफीक मसीह (व्हाइट वॉशर): (2015) 4 एससीसी 334' के निर्णय पर भरोसा करते हुए शिव राम को राहत प्रदान की थी और विभाग को छह सप्ताह के भीतर वसूली गई पूरी राशि वापस करने का निर्देश दिया था।

8. संक्षेप में तर्क यह है कि अधिकरण ने गलत तरीके से यह मान लिया कि 3,52,764/- रुपये की राशि याचिकाकर्ता को वापस कर दी गई है, और अधिकरण की इसी टिप्पणी ने अंततः मांगी गई दूसरी राहत को अस्वीकार करने का आधार बनाया। चूंकि उक्त निष्कर्ष अनिवार्य रूप से किसी अन्य व्यक्ति के मामले की कार्यवाही पर आधारित है न कि याचिकाकर्ता के, इसलिए विवादित आदेश उस सीमा तक टिकने योग्य नहीं है और उसे निरस्त किया जाना चाहिए।

9. इसके विपरीत, प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने अधिकरण द्वारा पारित आदेश का समर्थन करने का प्रयास तो किया, किंतु निष्पक्षता के साथ यह स्वीकार किया कि आदेश के 7वें पैराग्राफ में मूल आवेदन संख्या 1064/2016 को याचिकाकर्ता द्वारा दायर माना जाना अधिकरण की ओर से एक अनजाने में हुई चूक है।

10. हमने हमारे समक्ष रखे गए तर्कों पर विचार किया है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।

11. वर्तमान मामले में विचारणीय एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई दूसरी राहत को मूल आवेदन संख्या 1064/2016 की कार्यवाही के आधार पर अस्वीकार करना जैसा कि

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



अधिकरण के आदेश के 7वें पैराग्राफ में दर्ज है न्यायोचित और उचित है। इस उद्देश्य के लिए विवादित आदेश के 7वें पैराग्राफ को उद्धृत करना आवश्यक है, जो इस प्रकार है:-

"7. मांगी गई राहतों से ऐसा प्रतीत होता है कि पहला विवाद अंतिम दस महीनों की परिलब्धियों के आधार पर संशोधित पी.पी.ओ. जारी करने से संबंधित है, और दूसरा उपदान की 6,12,751/- रुपये की राशि की वसूली और वापसी से संबंधित है। उपदान से 6,12,751/- रुपये की वसूली के दूसरे मुद्दे के संबंध में रिकॉर्ड पर कोई विशिष्ट आदेश उपलब्ध नहीं है। हालांकि, संलग्नक ए-6 से ऐसा प्रतीत होता है कि मूल आवेदन संख्या **1064/2016** पहले इस अधिकरण के समक्ष दायर किया गया था, और उसमें पारित आदेश के अनुपालन में, वसूली गई राशि वापस कर दी गई थी। वापस की गई **3,52,764/-** रुपये की राशि आदेश दिनांक **19.03.2018** के माध्यम से आवेदक को लौटा दी गई थी। अभिवचनों में, आवेदक ने मूल आवेदन के पैराग्राफ **4.7** और **4.8** में संलग्नक ए-6 पर भरोसा करते हुए इस तथ्य का उल्लेख किया है। हालांकि, उसमें दिए गए तथ्यात्मक कथन संलग्नक ए-6 के विपरीत हैं, न केवल राशि के संबंध में बल्कि वसूली की प्रकृति के संबंध में भी। वास्तव में, मूल आवेदन संख्या **1064/2016** में इस अधिकरण द्वारा पारित आदेश के बाद वसूली गई **3,52,764/-** रुपये की राशि वापस कर दी गई थी, और उक्त आदेश को चुनौती नहीं दी गई है। इसलिए, हम राहत संख्या **2** के संबंध में कोई राहत प्रदान करने के इच्छुक नहीं हैं।"

12. राहत संख्या 2 को अस्वीकार करने के लिए अधिकरण द्वारा निकाला गया निष्कर्ष पूरी तरह से मूल आवेदन संख्या 1064/2016 में पारित एक आदेश पर आधारित है। उक्त आदेश, जो रिट याचिका के संलग्नक संख्या 8 के रूप में संलग्न है, दर्शाता है कि उक्त मूल आवेदन 'शिव राम' नामक व्यक्ति द्वारा दायर किया गया था, जो 2015 में सेवानिवृत्त हुए थे और उन्हें पी.पी.ओ. जारी किया गया था तथा उन्होंने भी अधिकरण के समक्ष लगभग समान राहतों का दावा किया था। मूल आवेदन का संलग्नक ए-6 वास्तव में शिव राम द्वारा दायर मूल आवेदन संख्या 1064/2016 में अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में विभाग के अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.03.2018 था। उक्त आदेश इस प्रकार है:-

"आख्यापक आदेश"

"माननीय केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, इलाहाबाद द्वारा मूल वाद संख्या - **330/01064/2016** में दिए गए आदेश दिनांक **20.09.2016** एवं **05.09.2017** के अनुपालन में वादी श्री शिवराम के प्रत्यावेदन दिनांक 22.12.2015 के परीक्षणोपरांत पाया गया कि वादी की रेल सेवा में नियुक्ति दिनांक 01.01.84 को ग्रुप "डी" में की गई थी एवं इन्हें दिनांक 16.04.87 को तदर्थ पदोन्नति के फलस्वरूप कारपेंटर के पद पर पदोन्नति दी गई। पुनः उप मुख्य इंजीनियर/निर्माण/पूर्वोत्तर/गोरखपुर के ज्ञापन दिनांक 30.05.2007 के द्वारा इन्हें ए.सी.पी. के तहत वेतनमान 4000-6000/ ग्रेड पे 2400/- का लाभ दिया गया। कर्मचारी के सेवानिवृत्ति दिनांक 31.05.2015 के समय तदर्थ पदोन्नति/ए.सी.पी. के तहत दिए गए पदोन्नति/वितीय उन्नयन को गलत मानकर उक्त के फलस्वरूप किए गए भुगतान ₹3,52,764/- की राशि को कर्मचारी के उपदान राशि एवं अवकाश नकदीकरण की राशि से कटौती कर ली गई।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



रेलवे बोर्ड पत्र दिनांक 19.08.2010 एवं 09.06.2011 के अनुपालन में जारी महाप्रबंधक/कार्मिक/गोरखपुर के पत्रांक- ई/ई/227/20/2/क्लास-III/सी.एल./iv दिनांक 11.11.2013 के अनुसार महाप्रबंधक स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि निर्माण संगठन में तदर्थ पदोन्नति के फलस्वरूप कर्मचारी द्वारा उच्चतर पद पर किए गए कार्य के बदले किए गए भुगतान की कटौती नहीं की जानी है तथा पूर्व में इस मद में की गई कटौती को संबंधित कर्मचारियों को वापस किए जाने का निर्णय लिया गया है।

उक्त के आलोक में माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 20.09.2016 एवं दिनांक 05.09.2017 तथा महाप्रबंधक/कार्मिक/गोरखपुर के पत्र दिनांक 11.11.2013 के निर्देशानुसार वादी श्री शिवराम तत्कालीन कारपेंटर के उपदान राशि एवं अवकाश नकदीकरण राशि में अधिक भुगतान के मद में की गई कटौती की कुल राशि **₹3,52,764/-** को भूतपूर्व कर्मचारी के पक्ष में वापस किए जाने का निर्णय लिया जाता है।

ह०अ०

(प्रदीप कुमार)

वकाधि/निर्माण/गोरखपुर"

13. स्पष्ट रूप से, 3,52,764/- रुपये की राशि वापस करने का निर्णय 'शिव राम' के संबंध में था न कि याचिकाकर्ता के संबंध में। यह परिलक्षित होता है कि अधिकरण ने आदेश दिनांक 27.08.2025 को सुरक्षित रखा था और इसे लगभग दो महीने से अधिक समय के बाद 13.11.2025 को सुनाया गया, और संभवतः इसी कारण से, अधिकरण ने किसी तरह मूल आवेदन के रिकॉर्ड को गलत पढ़ा और वर्तमान याचिकाकर्ता को राहत से वंचित करने के लिए शिव राम से संबंधित कार्यवाहियों का त्रुटिपूर्ण ढंग से उपयोग किया। अधिकरण द्वारा की गई यह चूक, रिकॉर्ड पर स्पष्ट रूप से दिखने वाली त्रुटि है, अतः हमारा यह सुविचारित मत है कि याचिकाकर्ता को दूसरी राहत न देने के लिए जो कारण बताए गए हैं, उन्हें बरकरार नहीं रखा जा सकता।

14. इसके अतिरिक्त, हम पाते हैं कि अधिकरण के समक्ष प्रतिवादियों का यह पक्ष कभी नहीं था कि उपदान की वसूली गई राशि में से कोई भी हिस्सा वर्तमान याचिकाकर्ता को कभी वापस/लौटाया गया है। मूल आवेदन के पैराग्राफ 4.7 और 4.8 में शामिल अभिवचनों और अधिकरण के समक्ष दायर प्रति-शपथ पत्र के पैराग्राफ 15 और 16 में उनके उत्तरों से ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता है, और इसलिए, अधिकरण के पक्षों के तर्क से परे एक तीसरा ही मामला गढ़ लिया है।

15. हमारा यह भी मत है कि एक बार जब अधिकरण द्वारा याचिकाकर्ता को पहली राहत प्रदान कर दी गई है और प्रतिवादियों द्वारा उसे चुनौती नहीं दी गई है, तो इसका आवश्यक परिणाम यह होगा कि याचिकाकर्ता को स्वीकार्य उपदान की राशि से कटौती/वसूली अन्यायपूर्ण और अनुचित है। इसलिए, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 'रफीक मसीह' (सुप्रा) मामले में प्रतिपादित विधि का अनुसरण करते हुए, याचिकाकर्ता दूसरी राहत पाने का भी पात्र पाया जाता है।

17. परिणामस्वरूप, रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



18. अधिकरण द्वारा पारित विवादित आदेश दिनांक 13.11.2025 के 7वें पैराग्राफ में की गई टिप्पणियों और दर्ज किए गए निष्कर्षों को एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

19. याचिकाकर्ता द्वारा मूल आवेदन के साथ-साथ इस रिट याचिका में मांगी गई दूसरी राहत उसे प्रदान की जाती है और प्रतिवादियों को यह निर्देश जारी किया जाता है कि वे याचिकाकर्ता को 6,12,751/- रुपये की राशि, उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 6% वार्षिक ब्याज के साथ, उस तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर वापस करें जब याचिकाकर्ता द्वारा इस आदेश की प्रमाणित/सत्य-सत्यापित प्रति सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

(क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति) (अरुण भंसाली, मुख्य न्यायमूर्ति)

11 फरवरी, 2026

ज्योत्सना

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"